

40

24

39

(राजपत्र, भाग-11, खंड-3, उपखण्ड(1) में प्रकाशनार्थ)

सं0 के-20014/5/2002-डीडी।ए

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 24 सितम्बर, 2003अधिसूचना


जी.एस.आर.सं0 _____ दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न उपयोगों के लिए प्रमार्य पूर्व-निर्धारित दरें एतद्वारा इस प्रकार अधिसूचित करती है :-

भूमि श्रेणी	2002-2003 के लिए रोहिणी फेज-III के लिए अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी0)
1. रोहिणी प्लॉट	
(क) ईडब्ल्यूएस 26 व0मी0	2971.00 रूपए
(ख) एलआईजी 32 व0मी0	3703.00 रूपए
(ग) एलआईजी 48 व0मी0	4434.00 रूपए
(घ) एमआईजी 60 व0मी0	5897.00 रूपए
(ड.) एमआईजी 90 व0मी0	6628.00 रूपए
	(आंतरिक विकास की लागत और उपयोग तथा अधिभोग प्रभार सहित)
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजनाएं	
(क) एलआईजी	2194.00 रूपए
(ख) एमआईजी	3657.00 रूपए
(ग) एसएफएस	4388.00 रूपए
(फ्लैटों की बिक्री कीमत निकालते समय आंतरिक विकास की लागत जोड़ी जानी है)	
3. वैकल्पिक प्लाट	3703.00 रूपए
	(आंतरिक विकास की लागत और उपयोग तथा अधिभोग प्रभार सहित)
4. झुग्गी-झोपड़ी और अनधिवासी	रु0 20.50 लाख प्रति एकड़
	(दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा किए जाने वाले आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर)

ये दरें वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए लागू हैं ।

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली-110064


(निशान्त सिंह)
निदेशक